

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज
फोन नं0 0532-2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक कलाकारों हेतु भोजन की आपूर्ति एवं कैटरिंग सर्विसेज केन्द्र परिसर के अन्दर एवं शहर के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु आपूर्ति किये जाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा दिनांक 25.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक ऑनलाइन सबमिट/अपलोड करना होगा। प्राप्त सभी निविदायें अपराह्न 04:40 बजे 25.11.2024 को ऑनलाइन खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	कलाकारों हेतु भोजन की आपूर्ति एवं कैटरिंग सर्विसेज	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	निविदा आमंत्रण की तारीख से 24.11.2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक	25.11.2024 को अपराह्न 02:00 बजे	25.11.2024 को अपराह्न 04:40 बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. जलपान एवं भोजन की दरें प्रति प्लेट प्रति व्यक्ति के अनुसार अलग मदों में प्रस्तुत करनी होंगी। 100 या 100 से अधिक एवं 100 से कम व्यक्तियों के लिये प्रति प्लेट की दरें अलग से प्रस्तुत करनी होंगी। निविदादाता द्वारा दी गयी दरें टैक्स सहित (Inclusive of all taxes) होंगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का विगत तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संस्थानों द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिये गये कार्यादेशों के प्रति संलग्न करनी होगी।
5. सामानों को कार्य स्थल तक ले आने तथा ले जाने, एवं निर्देशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति केन्द्र परिसर एवं प्रयागराज नगर परिक्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
7. सामानों की आपूर्ति में Act of God जैसे दंगा, अग्निकांड, वर्षा आदि से भी हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा
8. भोजन की मात्रा आवश्यकतानुसार समयबद्ध तालिका के अनुसार केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सूचित किया जायेगा।
9. कार्यक्रमों के दौरान भोजन बनाने (रसोई हेतु स्थान) के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र द्वारा रसोई के स्थान पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु फर्म द्वारा रसोई स्थल पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा बन्द डिब्बे में कूड़ेदान का प्रयोग किया जायेगा।
10. केन्द्र द्वारा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु फर्म द्वारा भोजन सामग्री बनाने में विद्युत हीटर का प्रयोग वर्जित होगा।

11. खाने की सर्विसेज (Catering space) लिए केन्द्र द्वारा अस्थाई शामियाना, टेबल फ्रिल सहित व आवश्यकतानुसार कुर्सियां उपलब्ध करायी जायेंगी, परन्तु कैटरिंग सामग्री व टेबल पर पेपर रोल फर्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। खाने के स्थान (Dinning Space) पर सफाई का विशेष ध्यान फर्म को रखना होगा।
12. कुक एवं कैटरिंग सर्विस सभी कर्मचारियों (waiters and cooking staffs) की वेशभूषा एवं व्यवहार प्रेजेन्टेबल होना चाहिए।
13. भोजन पकाने में अधिकाधिक सरसों के तेल का प्रयोग किया जायेगा, अत्यन्त आवश्यक होने पर ही रिफाइन्ड तेल का प्रयोग किया जायेगा। सब्जियां प्रतिदिन स्थानीय बाजार से ताजी उपलब्ध कराना होगा।
14. खाने-पीने की सभी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
15. खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस का प्रयोग सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए करना होगा।
16. केन्द्र द्वारा (Catering Services) सर्विसेज का आवंटन एल-1 फर्म के आधार पर आवंटित किया जायेगा, परन्तु गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर कार्य को एल-2 फर्म को एल-1 की दरों पर उचित गुणवत्ता के आधार पर कर दिया जायेगा।
17. फर्म के द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं सेवाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। फर्म के द्वारा दरें इस प्रकार दी जायें की भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
18. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जाय।
19. कोई भी निविदा बिना ₹0 10,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit/Bid Security) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि डीडी द्वारा निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी। डीडी की फोटोकॉपी अथवा आनलाइन माध्यम द्वारा जमा की गई धनराशि का UTR No./Transaction details निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
20. केन्द्र के द्वारा जिस निविदादाता को कार्य का आवंटन किया जायेगा उस निविदादाता को आवंटन से तीन दिन के अन्दर जमानत राशि के रूप में

- रु. 25000.00 (Performance Security) निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी।
 22. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।
 23. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार को किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 24. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 25. श्रोट पर कर-कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी। दरों पर जी.एस.टी. का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। स्पष्ट उल्लेख न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि दरें फर्म के द्वारा जी.एस.टी. सहित दी गई हैं।
 26. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन्, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न कर अपलोड करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
 27. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेण्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।
 28. निविदादाता के द्वारा कुकिंग में प्रयुक्त सामग्री में केवल सरसों का तेल (ब्राण्डेड) देशी घी (ब्राण्डेड) एवं सभी प्रकार के पैकड मसाले एवं सेंधा नमक (ब्राण्डेड) आटे का प्रयोग केवल (ब्राण्डेड) एवं चावल उच्चकोटी का प्रयोग किया जायेगा। खुले मार्केट में खुली सामग्री का प्रयोग एवं आयोडिन नमक का प्रयोग वर्जित होगा। इसके साथ ही पीने के पानी के लिए केवल जार का आपूर्तित पानी ही प्रयोग में लाया जाये।

29. उपरोक्त सभी के समर्थन के लिए निविदादाता को यह स्पष्ट निर्देश होगा कि सामग्री के आपूर्ति के समय ही केन्द्र द्वारा नियुक्त कैंटीन अधिकारी से लिखित रूप में सामग्री के गुणवत्ता का सत्यापन करा लें।
30. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़ कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।
31. निविदा दाता का प्रयागराज क्षेत्र में ऑफिस/सब-ऑफिस होना अनिवार्य है। ऑफिस/सब-ऑफिस का पूर्ण पता फोन नम्बर सहित निविदा के साथ देना होगा तथा ऑफिस/सब-ऑफिस का एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। जैसे- रेंट एग्रीमेन्ट की कॉपी, इत्यादि।
32. निविदादाता का कम से कम Turnover consistently विगत तीन वर्षों में रु. 10,00,000.00 (प्रत्येक वर्ष में) का होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु CA द्वारा प्रमाणित Turnover Certificate भी अपलोड करना होगा।

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र श्री.....फर्म.....
.....पता.....यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली है। मैं/हम.....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो0नं0-

पिन नं0-

पैनकार्ड नं0-

टैक्स नं0-